भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1536

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

उत्तर प्रदेश में जल स्रोतों में प्रदूषण

1536. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मुजफ्फरनगर जिले सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक अपशिष्ट प्रदूषण से जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(ख) खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए औद्योगिक इकाइयों के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं तथा अनुपालन न किए जाने की स्थिति में इन पर कार्रवाई की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): मुजफ्फरनगर सहित उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण करने वाले उद्योगों का नियमित रूप से निरीक्षण करता है।

- उपरोक्त के अलावा, नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अधिकृत तकनीकी संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बंबई, केंद्रीय लुगदी एवं कागज़ अनुसंधान संस्थान (सीपीपीआरआई) सहारनपुर, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) कानपुर, वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट (वीएसआई) पुणे, आईआईटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) वाराणसी, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) अलीगढ़ द्वारा अत्यधिक प्रदूषण करने वाले उद्योगों के थर्ड-पार्टी निरीक्षण किये जाते हैं।
- इसके अलावा, अत्यधिक प्रदूषण करने वाले उद्योगों के संबंध में अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) के आउटलेट पर एक ऑनलाइन निरंतर अपशिष्ट निगरानी प्रणाली स्थापित की जाती है, जिसके माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) द्वारा उद्योगों की ऑनलाइन निगरानी भी की जाती है।

(ख): उद्योग को खतरनाक अपशिष्टों के प्रबंधन और उनके सुरक्षित निपटान के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक अधिकृत पत्र प्राप्त करना होता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तकनीकी क्षमताओं और उपकरणों की मानक संचालन प्रक्रियाओं या सीपीसीबी द्वारा निर्दिष्ट अन्य दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही यह अधिकृत-पत्र प्रदान किया जाता है। ऐसे उद्योग जो खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं/उनको हैंडल करते हैं, उन्हें उपर्युक्त अधिकृत पत्र प्रदान किया जाता है तथा सामान्य उपचार भंडारण तथा निपटान सुविधा के द्वारा खतरनाक अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान हेतु बनाई उपर्युक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार उनके निपटान स्थल चिह्नित किए जाते हैं। इकाइयों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियम 2016 के प्रावधानों का अनुपालन कर रहे हैं। अनुपालन न होने की स्थिति में, उन्हें नोटिस/कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, यदि आवश्यक हो तो पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि भी लगाई जाती है।

*****